राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2023–24 / 3320 दिनांक : 24/7/23

दिशा–निर्देश
(सत्र 2023–24)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं हेतु संदर्भ कक्ष संचालन, सहायक सामग्री, उपकरण एवं टीएलएम

(Assistive Devices, Equipments and TLM)

प्रस्तावना :–

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं (CwSN) को आवश्यक शैक्षणिक एवं थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करने एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक सन्दर्भ कक्ष विकसित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत संदर्भ व्यक्तियों (CwSN) द्वारा इन संदर्भ कक्षों पर विभिन्न दोषों से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक संबंलन प्रदान कियां जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकायें संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों की सहायता से थैरेपिटिक संबंलन भी प्राप्त करते है। राज्य के सभी 359 ब्लॉक्स पर एक–एक संदर्भ कक्ष का प्रावधान है। उक्त गतिविधि NEP 2020 के Group-2, Reference Para No. 6.10 & 6.11 & Tracker-184 से संबंधित है।

उद्‌देश्य :–

- संदर्भ कक्ष पर विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की स्क्रीनिंग, असेसमेन्ट एवं संबंलन प्रदान करना।
- असेसमैन्ट कैम्प में चिकित्सक / विशेषज्ञों की अनुशंषा अनुसार चयनित छात्र–छात्राओं को सन्दर्भ कक्ष में प्राथमिकता के आधार पर बुलाकर सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को संदर्भ कक्ष पर आवश्यक शैक्षिक / थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की विविध आवश्यकताओं के प्रति बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनके अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन करना।

संदर्भ व्यक्ति (CwSN) का दायित्व :–

- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) द्वारा ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण कर उनका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चत करने हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त संस्थाप्रधानों से समन्वय स्थापित कर समस्त नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की **UDISE+** एवं **PRABANDH Portal** पर शत–प्रतिशत प्रविष्टि हेतु कार्य करना।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण, नामांकन एवं UDISE+ डेटा फीडिंग एवं **PRABANDH Portal** पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण करना।
- असेसमेन्ट कैम्प के दौरान विशेषज्ञों के सहयोग से छात्र–छात्राओं हेतु Therapy/ Intervention Programme का निर्धारण।
- संदर्भ कक्ष में छात्र–छात्राओं के संबंलन हेतु मासिक कलेण्डर तैयार करना।
- सन्दर्भ कक्ष में छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक एवं थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करना।
- सन्दर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का सही रख–रखाव एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बुलाये जा रहे प्रत्येक छात्र–छात्राओं की पृथक–पृथक दस्तावेज (File) तैयार कर पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करना।
- समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग करना।

<u>संदर्भ व्यक्ति (CwSN) **की साप्ताहिक कार्ययोजना :–**</u>

संदर्भ व्यक्ति (CwSN)	**सोमवार, बुधवार, शुक्रवार**	**मंगलवार, गुरूवार, शनिवार**
संदर्भ व्यक्ति (CwSN)-I	विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबंलन प्रदान करने एवं CwSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CwSN को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबंलन एवं **होमबेस्ड एज्यूकेशन CwSN को संबंलन** प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PRABANDH portal पर CwSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।
संदर्भ व्यक्ति (CwSN)-II	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CwSN को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबंलन एवं **होमबेस्ड एज्यूकेशन CwSN को संबंलन** प्रदान करना। साथ ही UDISE+/ PRABANDH portal पर CwSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।	विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबंलन प्रदान करने एवं CwSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का दायित्व :–

- संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) से अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- संदर्भ कक्ष का समय पर खुलना, संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की निर्धारित दिवस में उपलब्धता एवं सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी उपयोग हेतु कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा की गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता होने पर संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को विद्यालय में पदस्थापित विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी)/सामान्य शिक्षक अथवा अन्य कार्मिक का सहयोग उपलब्ध करवाना।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की मासिक उपस्थिति प्रमाणित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपस्थिति हेतु संदर्भ कक्ष में अलग से उपस्थिति पंजिका संधारित की जायेगी।
- संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के यात्रा व्यय का भुगतान का प्रमाणीकरण करना।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी उपकरणों के रख–रखाव एवं क्रियाशीलता को सुनिश्चित करना।
- **किसी भी स्थिति में संदर्भ कक्ष विद्यालय में कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को विद्यालय के अन्य प्रभार अथवा अन्य कार्यो में नहीं लगाया जायेगा।**

सीबीईओ का दायित्व :–

- संदर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के संस्थाप्रधान से संदर्भ कक्ष संचालन की अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- प्रत्येक माह में कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन कर मासिक कार्ययोजना क्रियान्विति को सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण, उनका विद्यालयों में नामांकन एवं **UDISE+ व PRABANDH Portal** पर शत–प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं के संबलन चिह्नीकरण, नामांकन, असेसमेन्ट कैम्प में उपस्थिति, पेरेन्ट्स काउसंलिंग एवं समावेशी शिक्षा की अन्य गतिविधियों में संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CwSN) को सहयोग करने हेतु आदेशित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त CwSN को शैक्षिक संबलन प्रदान करने हेतु संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ को निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर आयोज्य समीक्षा बैठक में समावेशी शिक्षा की प्रगति पर चर्चा करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा प्रेषित संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपस्थिति, विजिट रिपोर्ट इत्यादि को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) के प्रस्तावित एवं वास्तविक यात्रा कार्यक्रम की प्रतियाँ रखना।

पीईईओ/यूसीईईओ का दायित्व :–

- संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के समस्त विशेष आवश्यकता बालक–बालिकाओं का चिह्नीकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CwSN का UDISE+ एवं PRABANDH Portal पर Entry की सुनिश्चित करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता छात्र–छात्राओं का चिह्नीकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CwSN का

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

UDISE+ एवं PRABANDH Portal पर Entry एवं अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षिक संबंलन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना।

- संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को उक्त कार्य के संपादन में संदर्भ व्यक्ति (CwSN) का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर समन्वय के साथ कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु समय–समय पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन में भी विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को कार्यालय, समग्र शिक्षा, ब्लॉक/जिला के आदेशानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- विशेष आवश्यकता छात्र–छात्राओ को संदर्भ कक्ष संबंलन हेतु भेजने की जिम्मेदारी पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान की रहेगी।

वित्तीय प्रावधानः–

- संदर्भ कक्ष पर आने वाले प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्रा एवं अभिभावक (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के) को न्यूनतम वास्तविक किराए का भुगतान संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की अनुशंषा पर संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा किया जायेगा। इस हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के PEEO/UCEEO/संस्थाप्रधान को ₹ 10,000/– समावेशी शिक्षा के **"Assistive Devices, Equipments and TLM"** **में से** जारी करेंगे।
- **सत्र में अधिकतम ₹ 10,000/–की राशि निम्नानुसार व्यय की जा सकेगी :–**

क्र.सं.	कार्य	राशि
1	संदर्भ कक्ष पर आने वाले CwSN का वास्तविक किराया	₹ 8000
2	संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य, संदर्भ कक्ष रंग रोगन, शिक्षण सहायक सामग्री, स्टेशनरी इत्यादि।	₹ 2000
	योग	**₹ 10000**

नोट :–उपरोक्त उपमद में से आवश्यकतानुसार दूसरे उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC से संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र **दिसम्बर एवं मार्च माह** में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी न करने पर SMC/SDMC के सचिव व संदर्भ व्यक्ति (CwSN) के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को जारी राशि एवं व्यय संबंधित समस्त रिकॉर्ड की जाँच समय–समय की जायेगी। व्यय की गई राशि के उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :–

- **संदर्भ कक्ष का समय शिविरा पंचागानुसार रहेगा।**
- संदर्भ कक्ष का प्रभारी संदर्भ कक्ष विद्यालय का संस्था प्रधान होगा तथा सहप्रभारी संदर्भ व्यक्ति (CwSN) होगा।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

- **<u>संदर्भ कक्ष में संदर्भ कक्ष के उपकरणों के अलावा विद्यालय की अन्य कोई सामग्री यथा–पाठ्यपुस्तकें, वर्कबुक्स, मिड डे मील का सामान आदि नहीं रखा जायेगा। संदर्भ कक्ष को विद्यालय के बच्चों के अध्ययन कक्ष अथवा संदर्भ व्यक्ति (CwSN)/किसी अन्य कार्मिक द्वारा आवास के रूप में उपयोग में नहीं लिया जायेगा।</u>**
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी सामग्री/उपकरणों को प्रदर्शन बोर्ड पर अंकित किया जाये।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक सामग्री/उपकरण की क्रियाशीलता एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। कोई भी सामग्री/उपकरण अक्रियाशील, अनुपयोगी अथवा डिब्बा बंद अवस्था में न रखा जाये। ऐसा पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रत्येक संदर्भ कक्ष में 4x6 के ब्लैक बोर्ड पर स्थायी कलर से संदर्भ कक्ष के खुलने का समय, उपलब्ध सुविधायें एवं अन्य जानकारी अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- संदर्भ कक्ष हवादार, रोशनीयुक्त व बड़े आकार का हो, जिसमें आवश्यक रूप से बिजली, पानी, रैम्प विद हैण्डरेल की व्यवस्था हो।
- संदर्भ कक्ष वाले विद्यालयों में विशेष शौचालय **(Disable Friendly Toilet)** की सुविधा सुनिश्चित की जाये। **(इस कार्य हेतु जनसहयोग/भामाशाह से सहयोग प्राप्त कर DFT की सुविधा बालक–बालिकाओं को उपलब्ध करायी जाये।)**
- संदर्भ कक्ष पर प्रत्येक दिवस दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार बालक–बालिकाओं को बुलाया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CwSN) की उपलब्धता के आधार पर कार्यभार का आंवटन किया जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रति दिवस कम से कम दस बालक–बालिकाओं को संबंलन प्रदान किया जाये।
- **संदर्भ कक्ष रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर :–** प्रत्येक संदर्भ कक्ष पर निम्नानुसार रिकोर्ड संधारित किया जाकर जिले के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर इनकी जाँच की जाये :–
    1. **CwSN रिकॉर्ड रजिस्टर :–** ब्लॉक के सभी चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण।
    2. **स्टॉक रजिस्टर :–**संदर्भ कक्ष को उपलब्ध करवायी गई समस्त सामग्री/उपकरणों का मूल बिल से मिलान करते हुए भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना।
    3. **आगंतुक रजिस्टर :–**संदर्भ कक्ष की विजिट के दौरान विभिन्न अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की टिप्पणी अंकित करवाते हुए तदनुसार फोलोअप कार्यवाही सुनिश्चित करना।
    4. **संबलन रजिस्टर :–** संदर्भ कक्ष में आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका का दिनांक वार संपूर्ण विवरण एवं इन्हें संदर्भित दिनांक में दिये गये संबंलन का ब्यौरा निम्न प्रारूप में रखा जायेगा।

<u>संबलन रजिस्टर का प्रारूप</u>

क्र. स.	नाम बालक–बालिका	उम्र	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	दिनांक	प्रदत्त संबंलन/प्रशिक्षण का विवरण	संबलन की आगामी तिथि	हस्ताक्षर संदर्भ शिक्षक

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

5. **व्यक्तिगत फाईल :–** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका की व्यक्तिगत फाईल में निम्न सूचनाएं संधारित की जायेगी।

- केस हिस्ट्री
- मूल्यांकन प्रपत्र
- Individual Education Plan (IEP)
- फीजियो थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- स्पीच थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
- व्यवहार मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रपत्र

6. **यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर :–** संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले बालक–बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को प्रदान की जानी वाली यात्रा व्यय राशि की उपलब्धता तथा वितरण का लेखा–जोखा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।

<u>यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर</u>

माह..................

क्रं. स.	नाम बालक–बालिका/ अभिभावक	विद्यालय का नाम	संदर्भ कक्ष से विद्यालय/घर की दूरी	भुगतान किए गए किराए की राशि	हस्ताक्षर बालक/अभिभावक

माह में कुल प्राप्त राशि ....वितरित राशि......................शेष राशि..

- **संदर्भ कक्ष पर निम्न सूचनात्मक चार्ट आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :–**

–: संदर्भ कक्ष सामग्री उपयोग विवरण :–

क्रं.स.	सामग्री का नाम	गत माह तक उपयोग करने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या	इस माह में उपयोग करने वाले बालक–बालिकाओं की संख्या	कुल योग
1	ट्रेड मिल			
2	हैण्डजिम किट बोर्ड			
3	एक्टीवेटर			
4	पैरेलल वाकिंग बार			
5	वॉकर			
6	व्हील चेयर			
7	ट्राईसाईकिल			
8	ग्रुप हीयरिंग ऐड			
9	पोश्चर ट्रेनिंग मिरर			
10	ब्रेलकिट			
11	फीजियो बॉल			
12	ब्रेलर			
	अन्य			
1				
2				

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215582

- होमबेस्ड एज्यूकेशन अन्तर्गत CwSN की सूचना

नाम संदर्भ व्यक्ति (CwSN) ....

क्रं.स.	नाम बालक–बालिका	PEEO/UCEEO क्षेत्र	उम्र	दोष का प्रकार	घर का पता एवं मोबाइल नं.
1					
2					
3					
4					

नोट :– प्रत्येक संदर्भ व्यक्ति (CwSN) हेतु पृथक–पृथक संधारित किया जाये।

मॉनीटरिगः–

- सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु जिला परियोजना समन्वयक/जिले के अन्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम **एक बार** तथा सीबीईओ द्वारा कम से कम **दो बार** तथा जिला समन्वयक (समावेशी शिक्षा) द्वारा सप्ताह में दो संदर्भ कक्षों का **अवलोकन** अनिवार्यतः किया जायेगा। आगन्तुक अधिकारियों द्वारा डायरी/रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। अवलोकन प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रारूप में संधारित होगा :–

  संदर्भ कक्ष का नाम..............................

क्र.सं	अवलोकनकर्त्ता का नाम व पद	अवलोकन दिनांक	अवलोकन का संक्षिप्त विवरण	गत अवलोकन के सुझावों की कियान्विति।

- संदर्भ कक्षों द्वारा अधिक से अधिक बालक–बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा इनका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त प्रकार के प्रशिक्षणो, कार्यशालाओं में संदर्भ कक्षों की जानकारी सभी संभागियो को प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये।
- पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ द्वारा प्रत्येक माह मे संदर्भ कक्ष के उपयोग एवं बालक–बालिकाओं की संख्या की सूचना माह की 5 तारीख तक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भिजवाया जाये तथा जिला परियोजना समन्वयक जिले का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय की प्रविष्टि *PRABANDH Portal* पर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चत करें।

प्रभावों का आंकलन :– वर्ष पर्यन्त संदर्भ कक्षों के संचालन उपरान्त विशेष आवश्यकता वाले छात्रा–छात्राओं की उपलब्धियों एवं सकारात्मक प्रभावों का आंकलन विद्यालय स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जिले के विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु संदर्भ कक्षों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र की पहुँच संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ एवं संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के संस्थाप्रधान तक भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2023–24/ 3320 **दिनांक :** 24/7/23

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य आयुक्त महोदय, राजस्थान सरकार, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
8. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215562

INCLUSIVE EDUCATION 2023-24

S.N.	NAME OF DISTRICT	Assistive Devices, Equipments and TLM (Rs.10,000 Per Block)	
		PHY. (ELE.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	12	1.200
2	ALWAR	16	1.600
3	BANSWARA	11	1.100
4	BARAN	8	0.800
5	BARMER	21	2.100
6	BHARATPUR	12	1.200
7	BHILWARA	14	1.400
8	BIKANER	9	0.900
9	BUNDI	5	0.500
10	CHITTAURGARH	11	1.100
11	CHURU	7	0.700
12	DAUSA	11	1.100
13	DHAULPUR	6	0.600
14	DUNGARPUR	10	1.000
15	GANGANAGAR	9	0.900
16	HANUMANGARH	7	0.700
17	JAIPUR	26	2.600
18	JAISALMER	7	0.700
19	JALOR	10	1.000
20	JHALAWAR	8	0.800
21	JHUNJHUNU	11	1.100
22	JODHPUR	22	2.200
23	KARAULI	8	0.800
24	KOTA	6	0.600
25	NAGAUR	15	1.500
26	PALI	10	1.000
27	PRATAPGARH	8	0.800
28	RAJSAMAND	8	0.800
29	SAWAI MADHOPUR	7	0.700
30	SIKAR	12	1.200
31	SIROHI	5	0.500
32	TONK	7	0.700
33	UDAIPUR	20	2.000
	Total	**359**	**35.90**

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.21 18:10:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4215582